No. 49/30/2013-6SII
GOVERNMENT OF HARYANA
CHIEF SECRET ARY'S OFFICE
PERSONNEL DEPARTMENT

Dated, Chandigarh, the 21 March, 2013.

To

All concerned IAS / HCS Officers.

Subject: Selection for the post of Chairman in the CSERC – Invitation for proposals and nominations – Regarding.

****

Madam/ Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to say that a copy of letter No.F-1-7/2007/13/1, dated 23.02.2013 received from Government of Chhattisgarh, Energy Department, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur, Raipur is uploaded on the web site (csharyana.gov.in) and to request that in case you are willing to be considered for the post mentioned in the above subject you may kindly send three copies of your bio-data with an application to the Personnel Department (Services Branch-II) at the earliest.

Yours faithfully,

(SATISH SHARMA)
Superintendent Services-II.

INTERNAL DISTRIBUTION
e-champion

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
ENERGY DEPARTMENT
MANTRALAYA
MAHANADI BHAWAN
NAYA RAIPUR

13 MAR 2013

परिचालन शाखा : 22125

No. एफ-1-7/2007/13/1 Raipur, dt, 23/02/2013.

Chief Secretary's Office Haryana Receipt No. 22125 Dt. 13/3/2013

To,
As per list.

Sub: Selection for the post of Chairman in the CSERC – Invitation for proposals and nominations – Regarding.

Dear Sir,

I am directed to inform you that, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission has been constituted under Section 82 of Electricity Act 2003 with one Chairman and one Member to regulate the electricity Industry in Chhattisgarh. Commission is vested with powers to discharge the functions stipulated in Section 86 of the said Act. The tenure of the present Chairman shall be coming to an end on 30.06.2013 due to his attaining the age of 65 years on said date resulting in the vacancy. Accordingly, it has been decided to fill the vacancy as per the procedures stipulated in section 85 of the said Act.

I am directed to invite proposals and nominations of suitable persons for consideration of the Selection Committee for the post of Chairman of the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission. The nominees should be persons of ability, integrity and standing with adequate knowledge or experience of, or should have shown capacity in dealing with problems relating to Economics, Commerce, Finance, Accountancy, Law or Administration. The appointment would be made in accordance with the following :-

(1) The Chairman shall have Graduate qualification with specialisation and adequate experience in any of the disciplines like Law, Economics, Commerce, Finance, Accountancy or Administration.
(2) The minimum age limit for appointment is 55 years. Maximum age of the eligible candidates is 65 years. The tenure of the Chairman appointed will be Maximum of 5 years or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier.
(3) The person appointed would have to resign or opt for voluntary retirement from the service to which he or she belongs.

Services Branch Diary No. 22549 Date 14/03/2013

(4) The pay and allowances of the Chairman of the Commission shall be regulated as per Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (conditions of service of Chairman & Member) Rules 2003 as amended from time to time.

(5) The nomination / application should contain the following :

(5.1) Bio-data of proposed candidate containing the following details :-

(a) Name

(b) Age & Date of Birth

(c) Position now held

(d) Educational Qualification

(e) Details of posts previously held and experience in any of the field of Law, Economics, Commerce, Finance, Accountancy or Administration.

(f) Any other relevant information which is useful for assessing the suitability of the applicant for discharging functions of CSERC.

(5.2) Willingness letter to resign his / her present post and to join CSERC, if selected.

(5.3) A letter from person proposed intimating the details of any office, employment or consultancy agreement or arrangement which he / she has in his / her own name or in any firm, association of persons or body corporate, or in the name of any relative, carrying on any of the following business, namely;

(i) generation, transmission, distribution or supply of electricity

(ii) manufacture, sale or supply of any fuel for generation of electricity.

(iii) manufacture, sale, lease, hire or otherwise, supply of or dealing in machinery, plant, equipment, apparatus or fittings for the generation, transmission, distribution, supply or use of electricity and

(iv) any entity providing professional services to any of the business referred to in sub-clauses (i), (ii) and (iii) above.

(6) I am therefore to request you to send the nomination/application as indicated above, to the following address.

Shri Aman Kumar Singh,
Secretary,
Government of Chhattisgarh,
Energy Department,
Mantralaya, Mahanadi Bhawan,
Naya Raipur.

(7) Please note that nomination/application as indicated below are to be sent by Speed Post to the address mentioned above so as to reach on or before 30.05.2013.

(Umesh Kumar Agrawal)
Deputy Secretary
Govt. of Chhattisgarh
Energy Department

123

छत्तीसगढ़ शासन

ऊर्जा विभाग

दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

क्रमांक 280/ऊ.वि./विकअ/2003, रायपुर, दिनांक 23/8/03

-अधिसूचना-

विषयः— छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों की सेवा शर्तें।

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के अधिसूचना क्रमांक 1115/ऊ.वि./2002, दिनांक 19—3—2002 तथा क्रमांक 3425/स./ऊ.वि./2002, दिनांक 7—9—2002 को निरस्त करते हुए राज्य शासन, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 की कंडिका 19 की उपधारा (ii) तथा कंडिका 57 की उपधारा (i) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत "छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग" के सदस्यों को देय वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तो हेतु निम्न नियम परिभाषित करता है। ये नियम "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों हेतु वेतन, भत्ते और सेवा शर्त नियम 2003" के नाम से जाने जावेंगे तथा तत्काल प्रभाव से प्रभावशील माने जावेंगे।

अध्यक्ष व सदस्य की सेवा शर्ते :—

(1) वेतन व भत्ते :—

राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों को देय वेतन भत्ते निम्नानुसार होंगे :—

अ. अध्यक्ष एवं सदस्य का वेतन :—

अध्यक्ष को रूपए 26 हजार प्रतिमाह नियत वेतन देय होगा व अन्य नियमानुसार देय भत्ते पृथक से दिए जायेंगे।

सदस्य/सदस्यों को वेतनमान 22,400—525—24,500 होगा व अन्य नियमानुसार देय भत्ते पृथक से दिए जाएंगे।

//2//

यदि केन्द्र/राज्य सरकार के सेवारत अधिकारी अध्यक्ष/सदस्य के पद पर नियुक्त होते हैं, तो इन्हें अध्यक्ष/सदस्य हेतु निर्धारित वेतनमान देय होगा। किन्तु यदि अध्यक्ष/सदस्य पूर्व में भारत सरकार/किसी राज्य सरकार अथवा अन्य संस्था की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो एवं पूर्व सेवा के लिए पेंशन प्राप्त कर रहा हो तो उन्हें अध्यक्ष/सदस्य के वेतनमान से पेंशन की राशि कम करते हुए वेतन निर्धारित किया जाएगा।

(C) महंगाई भत्ता एवं शहर क्षतिपूर्ति भत्ता :–

अध्यक्ष व सदस्य को महंगाई भत्ता एवं शहर क्षतिपूर्ति भत्ता राज्य में भारतीय प्रंशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारियों को देय भत्ते के अनुसार होगा।

(2) आवास की सुविधा :–

अध्यक्ष व सदस्य को आवास की सुविधा, राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारी को प्राप्त आवास सुविधा के अनुरूप होगी।

यदि अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों द्वारा उनको आवंटित आवास का उपयोग न करने पर या उनको ऊपर वर्णित आवास उपलब्ध न करा पाने की स्थिति में या अपने स्वयं के मकान में रहने पर उन्हें देय मकान भत्ता की पात्रता भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारियों को प्राप्त सुविधा के अनुरूप होगी।

(3) वाहन की सुविधा :–

अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों को वाहन की सुविधा भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारियों को प्राप्त सुविधा के अनुरूप होगा।

(4) अध्यक्ष व सदस्य को देय यात्रा भत्ता :–

अध्यक्ष व सदस्य को प्रदेश के अंदर या बाहर यात्रा हेतु या स्थानान्तरण पर (जिसमें आयोग में नियुक्ति पर कार्य ग्रहण तथा कार्य समाप्ति पर कार्य मुक्त होने की दशा में गृह नगर से की गई यात्रा सम्मिलित है) के दौरान उन सभी यात्रा भत्तों व दैनिक भत्ते व सामान को ले जाने हेतु किराया, या अन्य किसी समतुल्य विषयक, भुगतान की पात्रता उसी दर व उसी मात्रा के अनुरूप होगी जिस तरह भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारी को छत्तीसगढ़ राज्य में उपरोक्त विषयक भुगतान की

23/8/03

पात्रता है। विदेश यात्रा आवश्यकतानुसार राज्य शासन/केन्द्र सरकार की सक्षम स्वीकृति पश्चात कर सकेंगे।

(5) अवकाश यात्रा सुविधा :–

अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों को अवकाश यात्रा सुविधा भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारी पर लागू होने वाले नियम व पात्रता के अनुरूप होगी।

(6) अवकाश :–

अ. पात्रताः–अर्जित अवकाश की पात्रता भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारी के अनुरूप होगी।

ब. किसी भी समय अध्यक्ष व सदस्य को उनके अवकाश खाते में शेष रहे अवकाश का 50 प्रतिशत नगदीकरण करने की पात्रता होगी।

स. अवकाश स्वीकृत करने के लिए अधिकृत सक्षम अधिकारी :–

अध्यक्ष के लिए अवकाश सवीकृति राज्य के ऊर्जा मंत्री द्वारा की जावेगी एवं सदस्य/सदस्यों के लिए अवकाश की स्वीकृति अध्यक्ष द्वारा की जावेगी।

(7) भविष्य निधि :– अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों को उनकी सहमति के आधार पर मध्य प्रदेश सामान्य भविष्य निधि अधिनियम– 1955 के अनुसार स्थापित भविष्य निधि में अंशदान की पात्रता होगी।

(8) चिकित्सा सुविधा :– अध्यक्ष तथा सदस्य/सदस्यों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधा व अस्पताल की सुविधा भारतीय प्रशासनिक सेवा में समकक्ष वेतन वाले अधिकारी को प्राप्त सुविधा के अनुरूप होगी।

(9) पेंशन व ग्रेच्युटी :– अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों को पेंशन व ग्रेच्युटी की सुविधा नहीं होगी।

(10) दूरभाष व अतिथि सत्कार सुविधा :– अध्यक्ष व सदस्य को भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारियों को प्राप्त सुविधा के अनुरूप होगी।

(11) अन्य सेवा शर्ते :– अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों हेतु अन्य सेवा शर्त जिनका लेख उपरोक्त सेवा शर्तों में नहीं है का निर्धारण राज्य के भारतीय प्रशासनिक सेवा के समतुल्य अधिकारियों को प्राप्त होने वाली सुविधा के अनुरूप होगी।

(12) अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण :– आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कार्य ग्रहण कराने के पूर्व, संलग्न शपथ पत्र "अ" के अनुसार गोपनीयता रखने हेतु क्रमशः राज्य के ऊर्जा मंत्री तथा अध्यक्ष, के समक्ष शपथ ग्रहण व हस्ताक्षरित करना होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

Ajay Singh 23/8/03
(अजय सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग

215

छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 1–35/2004/13/1, रायपुर, दिनांक 20/04/2006

// अधिसूचना //

विषयः– छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की सेवा शर्तों में संशोधन।

–00–

छ0ग0 शासन, ऊर्जा विभाग द्वारा छ0ग0 राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की सेवा शर्तों के संदर्भ में पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 7/9/2002 के नियम एक (अ) के अंतर्गत अध्यक्ष एवं सदस्य को देय वेतन भत्तों के प्रावधानों को विलोपित कर अधिसूचित किया गया था।

2/ छ0ग0 शासन, ऊर्जा विभाग द्वारा छ0ग0 राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की सेवा शर्तों के संदर्भ में जारी अधिसूचना क्रमांक 286/ऊ0वि0/वि0क0/2003, दिनांक 23/8/2003 में "छ0ग0 राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को देय वेतन–भत्ते और अन्य सेवा शर्तें नियम–2003 के नियम 3, 4 एवं 5 के स्थान पर निम्नानुसार नियम प्रतिस्थापित करता है। यह तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे।

<u>अध्यक्ष एवं सदस्य की सेवा शर्तें :–</u>

<u>बिन्दु क्रमांक 1 कंडिका 2</u> :– <u>आवास की सुविधा</u> :– अध्यक्ष व सदस्य को आवास की सुविधा राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारी को प्राप्त आवास की सुविधा के अनुरूप होगी।

<u>संशोधित कंडिका 2</u> :– "अध्यक्ष व सदस्य को आवास की सुविधा राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के समक्ष अधिकारी को प्राप्त शासकीय आवास की सुविधा के अनुरूप होगी।"

<u>बिन्दु क्रमांक 2 कंडिका 3</u> :– <u>वाहन की सुविधा</u> :– अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों को वाहन की सुविधा भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारियों को प्राप्त सुविधा के अनुरूप होगा।

निरन्तर..........2/

-216-

<u>संशोधित कंडिका 3</u> — "अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों को वाहन की सुविधा भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारियों को प्राप्त सुविधा के अनुरूप होगा। अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों को वाहन के निजी उपयोग की पात्रता होगी। पात्रता एवं देय भुगतान का निर्धारण इस हेतु शासन में प्रचलित नियमों के अनुसार किया जावेगा।"

*<u>बिन्दु क्रमांक 3 कंडिका 4</u> :— <u>**देय यात्रा भत्ता**</u> :— अध्यक्ष व सदस्य को प्रदेश के* अंदर या बाहर यात्रा हेतु या स्थानांतरण पर (जिसमें आयोग में नियुक्ति पर कार्य ग्रहण तथा कार्य समाप्ति पर कार्य मुक्त होने की दशा में गृह नगर से की गई यात्रा सम्मिलित है) के दौरान उन सभी यात्रा भत्तों व दैनिक भत्ते व सामान को ले जाने हेतु किराया, या अन्य किसी समतुल्य विषयक भुगतान की पात्रता उसी दर व उसी मात्रा के अनुरूप होगी जिस तरह भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारी को छत्तीसगढ राज्य में उपरोक्त विषयक भुगतान की पात्रता है। विदेश यात्रा आवश्यकतानुसार राज्य शासन/केन्द्र सरकार की सक्षम स्वीकृति पश्चात कर सकेंगे। होटल में रूकने हेतु प्रावधान नहीं है।

<u>**संशोधित कंडिका 4**</u> :— "अध्यक्ष व सदस्य के द्वारा राज्य के बाहर अथवा अंदर प्रवास के दौरान क्रमशः महानगरों यथा दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई में होटल में रूकने के लिये रूपये 6500 प्रतिदिन तथा अन्य शहरों हेतु रूपये 5500 प्रतिदिन की सीमा तक के कमरों में रूकने की सुविधा हेतु पात्रता रहेगी तथा वास्तविक भुगतान के अनुसार यात्रा देयक में प्रतिपूर्ति दावा मान्य किया जायेगा।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी०के० मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छ०ग० शासन, ऊर्जा विभाग

क्रमांक एफ 1–35/2004/13/1, 1915 रायपुर, दिनांक 20/04/2006

प्रतिलिपिः—

(1) महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।

(2) सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर।

(3) अध्यक्ष, छ0ग0 राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर।

(4) सदस्य, छ0ग0 राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर।

(5) सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, रायपुर।

निरन्तर.............3/

(6) सचिव, छ0ग0 राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर।

(7) सचिव, छ0ग0 राज्य विद्युत मण्डल, रायपुर।

(8) मुख्य विद्युत निरीक्षक, बैरन बाजार, रायपुर।

(9) संचालक, जनसंपर्क, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(10) उपनियंत्रक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर इस अधिसूचना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ। कृपया प्रकाशनोपरांत अधिसूचना की 50 प्रतियों का प्रदाय विभाग को शीघ्र करें।

(पी०के० मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छ०ग० शासन, ऊर्जा विभाग

19/5

छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

:: **अधिसूचना** ::

क्रमांक- एफ1-35/2004/13/1, रायपुर, दिनांक - 24/12/2008

विषयः- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष व सदस्य / सदस्यों की सेवा शर्तों में संशोधन।

-:0:-

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के पूर्व अधिसूचना क्रमांक 1115/ऊ0वि0/2002, दिनांक 19/03/2002 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष व सदस्य / सदस्यों की सेवा शर्तों को अधिसूचित किया गया था। तत्पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 3452/स/ऊ0वि0/2002, दिनांक 07/09/2002 द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना के प्रावधान 1(अ) में संशोधन कर अध्यक्ष व सदस्य का वेतन संशोधित रूप में अधिसूचित किया गया है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय शासन के अधीन कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु दिनांक 01/01/2006 से छठवें वेतनमान की सिफारिशें लागू की गई हैं, जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष / सदस्य को भी दिनांक 01/01/2006 से नये वेतनमान का लाभ दिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः राज्य शासन एतद्द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-180 की उपधारा-2(द) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष व सदस्य / सदस्यों हेतु वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्त नियम 2003 की कंडिका 1(अ) के अंतर्गत अध्यक्ष व सदस्य को देय वेतन / वेतनमान के प्रावधानों में आंशिक संशोधन करते हुए छठवें वेतनमान के अनुरूप दिनांक 01/01/2006 से लागू कर निम्नानुसार पुनरीक्षित वेतनमान का प्रावधान अधिसूचित किया जाता हैः-

अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें :-

1. **वेतन व भत्ते** :-

राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष व सदस्य / सदस्यों को देय वेतन भत्ते निम्नानुसार होगें :-

(अ) **अध्यक्ष एवं सदस्य का वेतन** :-

अध्यक्ष को रूपये रू0 80,000/- (मुख्य सचिव के वेतनमान के समकक्ष) प्रतिमाह नियत वेतन देय होगा व अन्य नियमानुसार देय भत्ते पृथक से दिये जायेगें।

सदस्य / सदस्यों को वेतनमान रू0 37,400-67,000/- (प्रमुख सचिव के वेतनमान के समकक्ष) होगा व अन्य नियमानुसार देय भत्ते पृथक से दिये जायेगें।

यदि केन्द्र / राज्य सरकार के सेवारत् अधिकारी अध्यक्ष / सदस्य के पद पर नियुक्त होते

निरंतर..............2

है तो इन्हे अध्यक्ष / सदस्य हेतु निर्धारित वेतनमान देय होगा। किन्तु यदि अध्यक्ष / सदस्य पूर्व में भारत सरकार / किसी राज्य सरकार अथवा अन्य संस्था की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो एवं पूर्व सेवा के लिये पेंशन प्राप्त कर रहा हो तो उन्हें अध्यक्ष / सदस्य के वेतनमान से पेंशन की राशि कम करते हुए वेतन निर्धारित किया जावेगा ।

वेतन / वेतनमान को छोड़कर संदर्भित विभागीय अधिसूचना दिनांक 19/03/2002 एवं उक्त अधिसूचना में समय-समय पर किये गये अन्य संशोधन यथावत् रहेंगे।

यह सेवा शर्ते दिनांक 01/01/2006 से प्रभावशील होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

24/12/08

(देवासीष दास)
विशेष सचिव,
छ0ग0 शासन, ऊर्जा विभाग

O/C

पृ0क्रमांक एफ 1-35/2004/13/1, रायपुर, दिनांक /12/2008

प्रतिलिपिः-

(1) महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, राजभवन, रायपुर,
(2) निज सचिव, मान0 मुख्यमंत्री, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, रायपुर,
(3) मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, रायपुर,
(4) सचिव, छ0ग0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर उनके यू0ओ0 क्रमांक 653/वि/नि/चार/2008, दिनांक 29/11/2008 के संदर्भ कृपया सूचनार्थ।
(5) सचिव, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
(6) सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 1/1/2008-IC, दिनांक 29/08/2008 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ अग्रेषित।
(7) महालेखाकार, छ0ग0, रायपुर,
(8) अध्यक्ष, छ0ग0 राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर,
(9) सदस्य, छ0ग0 राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर
(10) सचिव, छ0ग0 राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर,
(11) अधीक्षण अभियंता (वि0सु0) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, रायपुर,
(12) कोषालय अधिकारी, सिटी कोषालय, रायपुर,
(13) संचालक, जनसंपर्क, छ0ग0, रायपुर,
(14) नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव को आगामी राजपत्र (साधारण) में प्रकाशनार्थ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

24/12/08

अवर सचिव,
छ0ग0 शासन, ऊर्जा विभाग

O/C

D\KLS\Sansodhan\P-11